

महत्वपूर्ण

सो- 1197 /छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन),
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ:दिनांक 21 मई, 2021

विषय- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुये हर घर तक Functional Household Tap Connection (FHTC) दिया जाना है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 16/2021/948/छिहत्तर-1- -2021-22 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गमित किये गये हैं। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मण्डलवार/जनपदवार कार्यदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेंट करते हुये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूची पूर्व में आपको उपलब्ध कराई गयी है। इन संस्थाओं की जनपदवार सूची jjmup.org पोर्टल पर भी उपलब्ध है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्रामों की सूची के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विस्तृत प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं एवं जिसका विवरण jjmup.org पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन प्राक्कलनों का परीक्षण करते हुये नियमानुसार स्वीकृति/सन्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाना है।

2- उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की सप्तम बैठक दिनांक 08.06.2021 को प्रस्तावित है। उक्त बैठक में अधिक से अधिक योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करते हुये तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जाना है। यह भी संज्ञान में लाना है कि प्रस्तावित बैठक का एजेण्डा 14 दिवस पूर्व भारत सरकार को प्रेषित किया जाना होता है।

3- अतः अनुरोध है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की नियमानुसार 02 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से कराते हुये एजेण्डा हेतु सूचना संलग्न प्रारूप पर एवं 02 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से कराते हुये तदविषयक प्राक्कलन हार्ड कापी में दिनांक 25.05.2021 तक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों पर अनुमोदन प्रदान किया जा सके।

संलग्नक यथोपरि।

Digitized by
श्रीवास्तव
Date: Fri May 21 17:19:59 IST
2021
Reason: Approved

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या: (1)/छिह्तर-1-2021-25 सम/2019, तदिनांक।

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. - निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
2. - सगस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. - पबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. - अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-226/ डू 335/Tech/jjm/SLSSC-7/2021-22 दिनांक 21 मई, 2021 के क्रम में।

आज्ञा से,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
उप सचिव

